

मूल वाद में डिब्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर
(राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प कोर्ट)

कैम्प का स्थान :- नायन

दिनांक :- 25.05.2017

पीठासीन अधिकारी :- श्री रवि विजय, उपखण्ड अधिकारी (शाहपुरा)

1. रामपाल वयस्क पुत्र स्व. कन्हैयालाल राव जाति ^{उनवान} ~~जाट~~ ^{दाम} निवासी नायन हाल जयपुर जिला जयपुर (राज.)

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.) वादीगण

1. कन्हैयालाल पुत्र महादेव जाति जाट निवासी नायन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

.....प्रतिवादीगण

दावा दुरुस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88 व 89, 188 राज.टी.एक्ट.

मुकदमा नम्बर :- 43/2016
निर्णय दिनांक :- 25.05.2017

दावा वादी के पक्ष में लोक अदालत की भावना से डिब्री किया जाता है कि आराजी ख.नं. 3203 रकबा 0.05 हैक्. ख.नं. 3338 रकबा 0.54 हैक्. कुल कित्ता 2 रकबा 0.59 हैक् भूमि वाकै ग्राम नायन तहसील शाहपुरा कन्हैया पुत्र महादेव जाति जाट हिस्सा 1/2 का नाम हजफ किया जाकर रामपाल पुत्र स्व. कन्हैयालाल राव जाति ~~जाट~~ ^{दाम} निवासी नायन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगणों को पाबन्द स्थाई निषेधाज्ञा से किया जाता है कि वादी को शान्तिपूर्वक काबिज रहकर कास्त एवं उपयोग उपभोग करने दें।

यह आज दिनांक 25/05/2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(रवि विजय)

पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) शाहपुरा (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	/	शामिल पत्र के लिए स्टाम्प	/
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. _____ रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह - व्यय		आदेशिका की लामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

फर्द अहकाम

रामपाल
बनाम
कन्हैयालाल

न्यायालय ACM (P.T.) शाहपुरा

संख्या 43/20/6 दस्ता 88, 89, 188 रि.न.नि.स

क्रमांक	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
85/20/6		<p> आज यह पत्रावली राजस्व लेन गेहालत केम कोर्ट वायन में पेश हुई विशेष में उद्देश्य इस प्रकार है कि साबिक भद्राजी खन्ने 1383 खका 2 बीघा, 1400 खका 5 खका कुकु 2 खका 2 बीघा 5 खका वसि ग्राम नाकन खका शाहपुरा में वादी के पिता कन्हैयालाल पुत्र मटोरे सि. 112 वेनाम वाजत लिफ्ट में दर्ज उपर भद्राजी के खन्ने 3203, 3338 एतल वमक वने है। साबिक खन्ने 1383 व 1400 जो कि जमाबंदी से 2024 से 2027 में कन्हैया पुत्र मटोरे, रामशरण पुत्र श्यामलाल केम आर वेनाम खन्ने में दर्ज है। यह भद्राजी केनाम वाजत लिफ्ट में आर के स्थान पर खका से एक खोलेसो की केम में दर्ज कर लिफ्ट के जाने से यह खका जमी की खेत से पेश किया गया है मुझे उद्देश्य है वादी के पिता की जमीन है तथा साबिक लिफ्ट में वादी के पिता नयात जमीन की केम आर के स्थान पर जाट अंकित होने से पत्रावली उद्देश्य गया है। उद्देश्य वाजत में उद्देश्य वाजत लिफ्ट के खलाक से भी नहीं जाटि होत है कि साबिक लिफ्ट में वादी के पिता की जाटि आर अंकित थी जो कि जमाबंदी से 2024 से 2027 के खलाकन में स्पष्ट है तथा साबिक खन्ने 1383 के खलाकन 3338 व 1400 के खलाकन खन्ने 3203 के है। वर्तमान वाजत लिफ्ट में खन्ने 3338 व 3203 में वादी के पिता की जाटि जाट अंकित की गयी </p>	

